संख्या-103/2017/1561/22-2-2016-17(165)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ :दिनांक 13 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्व सिद्धदोष बन्दी हरीश उर्फ बबलू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी जनपद- फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हरीश उर्फ बबलू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी-जैन वाली गली, पोस्ट-टुण्डला, थाना-टुण्डला, जनपद- फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02-01-1997 की सायं लगभग 06:30 बजे राम किशन के घर में घुस कर चोरी व लूट करके राम किशन की पत्नी राजकुमारी की धारदार हथियार से मारकर हत्या की तथा मृतका के शरीर से एवं कनस्तर में रखे जेवर लेकर भाग गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,394 में मा0 सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 19-12-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.01.2016 तक 18 वर्ष 11 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा बन्दी वर्तमान में नवयुवक है तथा पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होता है एवं बन्दी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर है, अत: उसका जेल में निरूद्ध रहना न्याय/जनहित में है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है एवं बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा बन्दी की आयु 43 वर्ष है, अपराध करने में सशक्त है तथा बन्दी से पीडित/वादी पक्ष भयभीत है, रिहा होने पर वादी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, अत: उनके द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा चोरी व लूट करके रामकिशन की पत्नी राजकुमारी की धारदार हथियार से मारकर निर्दयता पूर्वक जघन्य अपराध कारित किया गया है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीश उर्फ बबलू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी जनपद- फिरोजाबाद की फार्म'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरीश उर्फ बबलू (बन्दी संख्या-6245) पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी जनपद- फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-103/2017/1561(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-103/2017/1561@22-2-2016-17(165)/2012

दिनांक 13 फरवरी,2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी हरीश उर्फ बबलू (बन्दी संख्या-6245) पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी-जैन वाली गली, पोस्ट-टुण्डला, थाना-टुण्डला, जनपद- फिरोजाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 02-01-1997 की सायं लगभग 06:30 बजे राम किशन के घर में घुस कर चोरी व लूट करके राम किशन की पत्नी राजकुमारी की धारदार हथियार से मारकर हत्या की तथा मृतका के शरीर से एवं कनस्तर में रखे जेवर लेकर भाग गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-80/1997 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302,394 में मा0 सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 19-12-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.01.2016 तक 18 वर्ष 11 माह 11 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा बन्दी वर्तमान में नवयुवक है तथा पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होता है एवं बन्दी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर है, अत: उसका जेल में निरूद्ध रहना न्याय/जनहित में है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है एवं बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा बन्दी की आयु 43 वर्ष है, अपराध करने में सशक्त है तथा बन्दी से पीडित/वादी पक्ष भयभीत है, रिहा होने पर वादी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, अत: उनके द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा चोरी व लूट करके रामकिशन की पत्नी राजकुमारी की धारदार हथियार से मारकर निर्दयता पूर्वक जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरीश उर्फ बबलू पुत्र श्री अशोक कुमार निवासी जनपद- फिरोजाबाद की फार्म'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in